International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 3, Issue 1, Jan.-Feb. 2023, pp: 258-260 www.ijhssm.org

भारतीय संवैधानिक व्यवस्था एवं अल्पसंख्यक सशक्तिकरण

डॉ0 सुनील कुमार
विभागाध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग
पी0 जी0 कालेज, गाजीपुर

Date of Submission: 08-01-2023 Date of Acceptance: 22-01-2023

सारांश –

भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता रही है, यहाँ की सामाजिक– सांस्कृतिक विविधता। यहाँ अनेक धर्म, जाति, प्रजाति, सम्प्रदाय एवं भाषा से सम्बन्धित लोग निवास करते हैं। जहाँ एक तरफ देश का बहुसंख्यक वर्ग हिन्दू धर्म का अनुयायी है तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिक्ख, पारसी एवं अन्य धर्मावलम्बी भी निवास करते हैं जिन्हें भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। साधारणतः अल्पसंख्यक वर्ग से हमारा आशय उस समूह से होता है जो धर्म, भाषा और जाति की दृष्टि से बहुसंख्यक समुदाय से पृथक् एवं जनसंख्या अनुपात में कम होते हैं। भारत में मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख इत्यादि धर्म के अनुयायियों एवं जनजातियों को अल्पसंख्यकों की श्रेणी में रखा जाता है। साथ ही भाषा की दृष्टि से सम्पूर्ण भारत में हिन्दी भाषी जनों की तुलना में अन्य भाषाएँ बोलने वालों को तथा एक प्रान्त के संदर्भ में उस प्रान्त विशेष की प्रान्तीय भाषा को छोड़कर अन्य भाषाओं का प्रयोग करने वाले लोगों को अल्पसंख्यक माना जाता है।

मुख्य शब्द :– अल्पसंख्यक, सांस्कृतिक विविधता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, आंग्ल–भारतीय समुदाय।

अनुच्छेद 29 भारत में कहीं भी निवास करने वाले 'नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है', उसे बनाये रखने के अधिकार की गारंटी देता है। किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित या उससे सहायता प्राप्त किसी भी संस्था में केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं किया जा सकता।[1]

परिचय :–

संविधान कहीं भी 'अल्पसंख्यक' को परिभाषित नहीं करता। अनुच्छेद 30 (1) में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उसके प्रबंध का अधिकार होगा। 44वें संशोधन द्वारा जोड़े गये खंड 1 (क) में उपबंध किया गया है कि यदि किसी ऐसी संस्था की सम्पत्ति अर्जित की जाती है, तो उसका उचित तथा पर्याप्त मुआवजा दिया जायेगा ताकि इस अधिनियम द्वारा दिया गया अधिकार सार्थक बना रहे। खंड (2) में उपबंध किया गया है कि सहायता देने के मामले में राज्य अल्पसंख्यकों द्वारा प्रतिबंधित संस्थाओं के साथ विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 30 पूर्णतया अल्पसंख्यकों के अधिकार से सम्बद्ध है अर्थात् इसका आशय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है। यह बहुत ही व्यापक है क्योंकि अनुच्छेद 29 की भाँति यह भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण तक ही सीमित नहीं है। इसके अलावा, इस अनुच्छेद के अधीन अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रबंधन के अल्पसंख्यकों के अधिकार में शिक्षा का माध्यम, पाठ्यचर्या, पढ़ाये जाने वाले विषय आदि चुनने का अधिकार भी सम्मिलित है।[2]

भारतीय संविधान निर्माता ने समानता और न्याय पर आधारित लोकतंत्रात्मक गणराज्य की कल्पना की थी। वे भारत जैसे विविधता वाले राज्य में भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्या से पूरी तरह आश्वस्त थे।

भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को पूर्ण सुरक्षा देने की पूरी कोशिश की गई है। भारत में कार्यपालिका के सवाल पर चर्चा करते हुए, डॉ. अम्बेडकर ने कार्यपालिका के ब्रिटिश प्रकार को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनके अनुसार, भारत में अपरिवर्तनीय साम्प्रदायिक बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के लिये अत्याचार साबित हो सकते हैं। अल्पसंख्यक को कुचला जा सकता है। एक अच्छी कार्यपालिका के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिये –

1. अल्पसंख्यकों के मामले में अपनी बात रखने का अवसर दिये बिना बहुसंख्यकों को सरकार बनाने से रोकना;
2. प्रशासन पर बहुमत के विशेष नियंत्रण को रोकना और बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार को संभव होने से रोकना;
3. बहुमत पार्टी द्वारा कार्यपालिका में अल्पसंख्यकों के उन प्रतिनिधियों को शामिल किये जाने से

International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 3, Issue 1, Jan.-Feb. 2023, pp: 258-260 www.ijhssm.org

रोकना जिन पर अल्पसंख्यकों को विश्वास नहीं है;

4. अच्छे और सक्षम प्रशासन के लिये आवश्यक स्थायी कार्यपालिका मुहैया करना।[3]

भारतीय संविधान में अल्पसंख्यको हेतु संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान निर्माता ने समानता और समाज के सभी नागरिकों के मुख्यधारा में समावेश पर आधारित लोकतंत्रात्मक गणराज्य की कल्पना की थी। वो भारत जैसे विविधता वाले देश में भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्याओं को भली–भाँति समझते थे। अल्पसंख्यकों में सुरक्षा तथा संविधान के प्रति निष्ठा का भाव पैदा करने के लिये ही संविधान में अल्पसंख्यकों सम्बन्धी सभी आवश्यक प्रावधान किये गये हैं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की आश्वस्ति के लिये किये गये प्रावधानों का उल्लेख इस प्रकार है –

सामान्य संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 14 – यह अनुच्छेद भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है।

अनुच्छेद 15 – इस अनुच्छेद के प्रावधान अनुच्छेद 14 में की गई व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। यह अनुच्छेद किसी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म–स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है।

अनुच्छेद 16 – इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गयी है कि राज्य के अधीन सभी पदों पर नियोजन अथवा नियुक्ति के सम्बन्ध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे एवं इस सम्बन्ध में किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म–स्थान तथा निवास के आधार पर नागरिकों के साथ कोई विभेद नहीं किया जायेगा।[4]

विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 25 – यह अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को अन्तःकरण की स्वतंत्रता एवं किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

अनुच्छेद 26 – इस अनुच्छेद के अन्तर्गत प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय अथवा उसके किसी अनुभाग को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण, धर्म–विषयक कार्यों का प्रबंधन, सम्पत्ति के अर्जन तथा स्वामित्व और विधि के अनुसार उस सम्पत्ति पर प्रशासन करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद 27 – इस अनुच्छेद के अन्तर्गत राज्य किसी धर्म–विशेष के उत्थान के लिये करारोपण नहीं कर सकता है और ना ही कर के रूप में वसूल की गई राशि को किसी धर्म–विशेष पर खर्च कर सकता है।

अनुच्छेद 28 – अनुच्छेद 28 राज्य–निधि द्वारा पूर्ण रूप से पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को पूर्ण रूप से वर्जित करता है किन्तु अनुच्छेद 28 (2) के अनुसार, किसी न्याय के अधीन स्थापित शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। साथ ही अनुच्छेद 28 (3) राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षा में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में भाग लेने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा का निषेध करता है नैतिक शिक्षा का नहीं।

अनुच्छेद 29 – भारत में कई ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग हैं जिनकी अपनी पृथक् भाषा, लिपि और संस्कृति है। यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखने का अधिकार प्रदान करता है। साथ ही धर्म, मूलवंश, जाति एवं भाषा के आधार पर राज्य द्वारा पोषित या सहायता प्राप्त शिक्षा–संस्थाओं में प्रवेश–निषेध को वर्जित करता है।

अनुच्छेद 30 – इस अनुच्छेद के अन्तर्गत धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद 325 – यह अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान–मंडल के सदन के लिये निर्वाचन के लिये प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन–क्षेत्र के लिये एक साधारण निर्वाचक–नामावली होगी और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावली में सम्मिलित किये जाने के लिये अपात्र नहीं होगा या ऐसे किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिये किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने का दावा नहीं करेगा।[5]

अनुच्छेद 331 – इस अनुच्छेद के अनुसार, यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल–भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो यह लोकसभा में उस समुदाय के दो से अधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा।[6]

अनुच्छेद 333 – इस अनुच्छेद के अन्तर्गत यदि किसी राज्य के राज्यपाल की राय में उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है तो वह उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य का नाम निर्देशित कर सकेगा।

अनुच्छेद 350 (क) – सातवें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 350 (क) आदेश देता है कि

International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 3, Issue 1, Jan.-Feb. 2023, pp: 258-260 www.ijhssm.org

हर राज्य का स्थानीय प्राधिकारी भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करें। यह भी कहा गया है कि इस विषय में राष्ट्रपति किसी भी राज्य को आवश्यक निर्देश दे सकता है।

अनुच्छेद 350 (ख) – अनुच्छेद 350 (ख) के अन्तर्गत कहा गया है कि भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के लिये राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करे। जिसका यह कर्तव्य होगा कि वह भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों की रक्षा के उपायों से सम्बन्धित सभी मामलों की जांच पड़ताल करें और उनके बारे में ऐसे अंतरालों पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे जिनका निर्देश राष्ट्रपति दे। ऐसी सभी रिपोर्ट संसद के समक्ष रखी जा सकती हैं और सम्बद्ध राज्य सरकारों के पास भेजी जा सकती है।[7]

निष्कर्षः–

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि मुस्लिम सहित सभी अल्पसंख्यकों को संयुक्तराष्ट्र, भारतीय संविधान और इसके अन्तर्गत पंचायती राज व्यवस्था में सशक्तिकरण की गारण्टी दी गई है। अब सरकार व जनता को प्रयास यह करना है कि संविधान के अनुरूप मुस्लिम जन को यह गारण्टी व्यावहारिक रूप में प्रदान किया जाये।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. कश्यप, सुभाष : ***हमारा संविधान***, नई दिल्ली, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, 2013, पृ. 117
2. कश्यप, सुभाष : ***हमारा संविधान***, नई दिल्ली, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, 2013, पृ. 117–118
3. ***वर्ल्ड फोकस***, दिसम्बर, 2013, पृ. 94.
4. बाबेल, बसंती लाल : ***भारत का संविधान***, इलाहाबाद, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, 2014, पृ. 90
5. बाबेल, बसंती लाल : ***भारत का संविधान***, इलाहाबाद, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, 2014, पृ. 494.
6. बाबेल, बसंती लाल : ***भारत का संविधान***, इलाहाबाद, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, 2014, पृ. 449.
7. कश्यप, सुभाष : ***हमारा संविधान***, नई दिल्ली, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, 2013, पृ. 262.